

काम धंधा नहीं मिलने के कारण तनाव और शराब के नशे में तोड़ी मूर्ति



बजाज नगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम जयपुर पूर्व ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लाल कोठी सब्जी मंडी में शिवजी मंदिर की मूर्तियां तोड़ने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।

था और काम धंधा नहीं मिलने के कारण तनाव में चल रहा था। इसके

चलते 11 अप्रैल की सुबह ही शराब का नशा कर लिया और फिर वह लाल

कोठी सब्जी मंडी में शिव जी के मंदिर में चला गया। वहा बैठ कर वह एक बार जोर जोर से रोने लगा और फिर भगवान की तरफ देख कर कहने लगा कि तुम्हारा कोई बुपा नहीं किया और फिर भी आप मुझसे नाराज रहते हो। इसके बाद मंदिर में रखी एक टाईल से शिव जी व पास में लगी भगवान की मूर्तियों को तोड़ कर दुर्गापुर चल गया। जहां से ट्रेन में बैठकर गांव चला गया था जहाँ से वापस ही जयपुर आ गया था और अपने जानकार के पास शराब पीने चला गया। जिला विशेष टीम जयपुर पूर्व,सीएसटी व थाना बजाज नगर की टीमो का गठन किया गया। जहां गठित टीम के सदस्यों ने दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए

- शिवजी मंदिर की मूर्तियां तोड़ने का मामला
- पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार

ट्रेडिशनल पुलिसिंग करते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई तो एक संदिग्ध आदमी मंदिर के अन्दर से निकलता हुआ नजर आया। उक्त संदिग्ध व्यक्ति की तलाश के लिए घटनास्थल से अलग-अलग रुटों पर अलग-अलग टीमों को टास्क दिया गया तथा टीमों द्वारा लगातार 6 दिन तक घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो की वीडियो फुटेज चेक करते हुए संदिग्ध आरोपी का रूट मैप तैयार किया जाकर सैकड़ों से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखे गये तथा आस पास मंडी में काम करने वाले मजदूरों, टोंक फाटक पर मजदूरों की चौकटी पर संदिग्ध हुलिया के व्यक्ति के तस्वीर दिखाई तथा अंग्रेजी शराब ठेकों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई तो संदिग्ध हुलिया का व्यक्ति की पहचान की गई। तत्पश्चात टीम के सदस्यों ने दिन रात शराब ठेकों के आसपास रेकी करके निगरानी रखते हुए आरोपी राजेश राव को गिरफ्तार किया गया।

संस्कृत गौरव के संवाहक बनें विद्यार्थी : बिरला

- जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का सप्तम दीक्षांत समारोह

दर्शन के माध्यम से विश्व में सम्मान प्राप्त कर रहा है और ऐसे समय में संस्कृत को नई पीढ़ी से जोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। जब विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालयों में संस्कृत पर शोध हो रहे हैं, तब भारत में भी इसे नवाचार, तकनीक और डिजिटल युग से जोड़ना समय की मांग है। विश्वविद्यालय द्वारा योग को

तकनीकी दृष्टिकोण से पढ़ाने, पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की गई। बिरला ने यह भी स्मरण कराया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रद्धेश्व भैरोंसिंह शेखावत ने पूज्य नारायणदास महाराज की प्रेरणा से किया था। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा और संस्कृत भाषा के गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

जयपुर फुट की निर्माता संस्था ने इस वर्ष डेढ़ लाख दिव्यांगों का पुनर्वास किया

जयपुर। जयपुर फुट की निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति ने वर्ष 2024-25 में देशभर में लगभग डेढ़ लाख दिव्यांगों का पुनर्वास किया। समिति के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर.मेहता ने बताया कि वर्ष 2024-24 में कुल 149231 दिव्यांगों को कृत्रिम पैर (जयपुर फुट), कैलीपर्स, व्हील चेयर, तिपहिया, ट्राइ साइकिल, बैसाखी और श्रवण यंत्र उपलब्ध कराये। समिति इस वर्ष में जयपुर और देश भर के अपने 34 केंद्रों की मार्फत 43722 कृत्रिम पैर (जयपुर फुट) दिव्यांगों को लगाकर उन्हें चलने फिरने योग्य बनाया। डी.आर.मेहता ने कहा कि विश्व की कोई भी विकलांग पुनर्वास संस्था एक वर्ष में जहां चार हजार विकलांगों का पुनर्वास नहीं कर पाती, वहीं समिति ने एक लाख 49 हजार

सांगानेर खुली जेल से दो बंदी भागे

जयपुर। मालपुरा गेट थाना इलाके में स्थित सांगानेर खुली जेल से दो बंदियों के भागने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि फरार कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। रोल-कॉल करने पर जेल प्रशासन को बंदियों के फरार होने का पता चला। जेल प्रशासन की ओर से फरार कैदियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार कैदियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि डॉ. संपूर्णानंद बंदी खुला शिविर के जेल प्रहरी ने मामला दर्ज करवाया है कि फरार कैदी सद्दाम और मोहनलाल हैं। जो सांगानेर खुली जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। दण्डित बंदी सद्दाम और मोहन लाल रोल कॉल के समय मौजूद नहीं मिले। दोनों कैदियों को उनके आवास और आस-पास तलाश किया, लेकिन वह गायब मिले। उसका मोबाइल नंबर भी रिवच ऑफ फाइंड की संख्या से कहीं अधिक है। उन्होंने बताया कि समिति अपनी स्वर्ण जयंती पर हर विकलांग का पुनर्वास करने का प्रयास करेगी।

चम्बल नदी पर 2.3 किलोमीटर एक्वाडक्ट बनेगा



- निर्माण के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से मिली स्वीकृति
- नवनेरा बैराज से मेज एनिकट तक फीडर निर्माण कार्य भी शीघ्र होगा शुरू

नवनेरा बैराज से मेज एनिकट तक फीडर निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू होगा। इसके लिए आवश्यक 328 हेक्टेयर भूमि अवापि का अवाई शीघ्र जारी कर प्रभावितों को जल्द नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। एक्वाडक्ट निर्माण में वन्यजीव

सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। साथ ही, 24.05 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही अंतिम चरण में है। कार्यस्थल पर संबंधित एजेंसी द्वारा कैम्प स्थापित कर लिया गया है। चम्बल एक्वाडक्ट के लिए कास्टिंग यार्ड, बैंचिंग प्लांट इत्यादि का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। कार्यों की मजबूती के लिए सर्वे और अनुसंधान पूर्ण कर डिजायन/ड्राइंग तैयार कर ली गई है।

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिशा-निर्देशों के अनुसार संशोधित पीकेसी का कार्य प्रगतिरत है। इसमें एक्वाडक्ट का निर्माण कार्य समयबद्ध और मजबूती से पूर्ण हो, इसकी सुनिश्चिता की जाएगी।

नवीन आवासीय योजनाओं को लेकर मण्डल में तैयारियाँ तेज



आवासन मंडल की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को आवास भवन में आवासन आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा ने बैठक ली।

- कार्यप्रगति की समीक्षा के साथ दिए आवश्यक दिशा निर्देश
- जयपुर में भी आयेगी विभिन्न आय वर्ग के लिए आवासीय योजना

तैयारी कर रहा है। इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर गुरुवार को आवास भवन में आवासन आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा ने अहम बैठक ली। डॉ शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की संसानुरूप आवासन मण्डल आम जन के आवास के सपने को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने अभियंताओं एवं अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन नवीन योजनाओं से संबंधित सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करें साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि

इनके निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। डॉ शर्मा ने कहा कि चाहे ई नीलामी हो या आवासीय योजना, सैकड़ों आवेदन और नीलामी द्वारा अर्जित करोड़ों का राजस्व इस बात का प्रमाण है कि आज भी आवासन मण्डल संपत्तियों में निवेश एवं घर खरीदने के लिए लोगों की पहली पसंद है। हमें हरसंभव प्रयास करना है कि हम इस प्रथम पायदान पर बने रहें और भविष्य में भी मण्डल के प्रति लोगों के विश्वास और रुझान को कायम रख सकें।

उल्लेखनीय है कि जयपुर के सेक्टर -26 प्रताप नगर तथा सेक्टर 5 मानसरोवर में भी आवासन मण्डल विभिन्न आय वर्ग के लिए 2 नई योजनाएं लाने जा रहा है

बैठक में सचिव डॉ अनिल पालीवाल, मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल, टी एस मीणा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रतीक श्रीवास्तव, मुख्य नगर नियोजक अनिल माथुर सहित समस्त उच्च अधिकारी एवं अभियंता उपस्थित रहे।

अधिकारी अधिक-से-अधिक फील्ड विजिट कर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें : गोदारा

जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को मंत्रालय भवन में दोनों विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी अधिक से अधिक फील्ड विजिट कर योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रभावी निरीक्षण करें एवं क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को चिन्हित कर त्वरित निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि सक्रियता से काम न करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। गोदारा ने कहा कि प्रदेश में गत वर्ष नवंबर से संपन्न लोगों को खाद्य सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित करने हेतु गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में इस अभियान का व्यापक असर देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि गिव अप अभियान के द्वारा अपात्र लोगों के खाद्य सब्सिडी छोड़ने से सरकार को जो अन्न की बचत होगी वह गरीब का निवाला बनेगा। इससे बड़ी गरीब की सेवा नहीं हो सकती। इस अभियान में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी सलाह में न्यूनतम 3 दिन आवश्यक रूप से फील्ड में दौरा कर निःशुल्क राशन की दुकानों का निरीक्षण करें।

मंदिरों एवं अन्य भवनों की मरम्मत के दौरान मूल स्वरूप को बरकरार रखा जाए : दिया कुमारी



उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की बिल्डिंग एवं स्पेशल स्क्रीम खंड के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाने, समय पर साथ कार्य पूर्ण करने एवं मेंटेनेंस की प्रभावी योजना तैयार करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा को बढ़ावा देने के साथ भवन निर्माण में सौर ऊर्जा के

उपयोग तथा जल संरक्षण के उपायों को प्राथमिकता देने के दिशा-निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त, मंदिरों एवं अन्य विरासत स्थलों के जिर्णोद्धार कार्यों के दौरान उनके मूल स्वरूप को बरकरार रखने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मंदिर और अन्य स्थल वर्षों पहले स्थानीय सामग्री एवं स्थानीय शिल्प कला का उपयोग करके बनवाए गये हैं। इनकी मरम्मत के दौरान उसी सामग्री एवं शिल्प कला का ध्यान रखा जाये।

‘हीट वेव एक्शन प्लान की केन्द्र व राज्य सरकार जानकारी दें’ हाईकोर्ट ने गत वर्ष मई में एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए थे, पर दस माह बाद भी कोई प्लान नहीं बना

जयपुर, 17 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में हीट वेव व जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय, भारतीय मौसम विभाग, भारतीय आपदा प्रबंधन और राज्य के सीएस, एसीएस गृह व एसीएस वित्त सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने सीएस को निर्देश दिए हैं कि वे हीट एक्शन प्लान व स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारी को मजबूत करने के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति के लिए सभी विभागों को साथ लेकर एक समन्वय समिति बनाए। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि समान मामले में गत वर्ष मई माह में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया और सरकार को निर्देश जारी किए, लेकिन करीब दस माह बीतने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया गया। यहां तक की सड़कों पर पानी की छिड़काव करने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई और ना ही सड़कों पर छाया स्थल विकसित किए गए। इसके अलावा लू से बचाव के लिए ओआरएस पैकेट, आम पन्ना आदि का वितरण भी नहीं किया गया। सरकार की ओर से अभी तक हीट एक्शन प्लान तक नहीं बनाया गया। अदालत ने कहा कि प्रदेशवासियों के साथ पशुवत व्यवहार नहीं किया जा सकता और अदालत आंख बंद कर नहीं रह सकती है।

अदालत ने कहा कि राजस्थान का तापमान दिन-प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। आगामी ग्रीष्म काल जन स्वास्थ्य, लू और हीट स्ट्रोक के मामले एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में राज्य सरकार को हीट वेव और हीट स्ट्रोक से मुक्त रखने के लिए सभी स्तरों पर उचित कदम उठाए जाने की जरूरत है। अदालत ने केन्द्र सरकार के एएनजी आरएल रस्तोगी, राज्य के एएजी और अन्य वकीलों को कहा है कि वे इस मामले में अदालत को सहयोग करें।

अदालत ने केंद्र व राज्य सरकार से कहा है कि क्यों ना राज्य के प्रत्येक जिले में रोड के दोनों ओर वृक्षारोपण तथा जनहित में हरित सार्वजनिक स्थान बनाए जाए। वहीं क्यों ना हीट एवं कोल्ड वेव से होने वाली मृत्यु की रोकथाम विधेयक, 2015 को अधिनियम के रूप में क्रियान्वित करने व उसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।

अदालत ने यह भी पूछा है कि क्यों ना हीटवेव के कारण जान गंवाने वालों के आश्रितों को उचित मुआवजा राशि का भुगतान किया जाए। अदालत ने केंद्र व राज्य सरकार सहित सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे

निर्देश दिया है कि वे आगामी सुनवाई 24 अप्रैल को अंतरिम निर्देशों की पालना के लिए उठाए कदमों की रिपोर्ट अदालत में पेश करें। अदालत ने पूर्व में दिए गए निर्देशों को दोहराते हुए कहा कि हीटवेव रोगियों के उपचार के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों

पर सभी संभव सुविधाएं प्रदान की जाए। वहीं खुले में काम करने वाले सभी श्रमिकों के लिए परामर्श जारी करें, ताकि उन्हें अत्यधिक गर्मी के दौरान दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच आराम करने की अनुमति दी जा सके।

हीटवेव को देखते हुए दवाओं की हो समुचित उपलब्धता : नेहा गिरी

- अनियमितता पर इंगरपुर जिला औषधि भण्डार के प्रभारी अधिकारी को नोटिस

का गहन परीक्षण कर अनुमोदित आपूर्तिकर्ता फर्मों को क्रय आदेश जारी किये जाने एवं शीघ्र आपूर्ति हेतु संबंधित फर्मों से समन्वय किया जाए। समस्त प्रभारी अधिकारी फीडबैक मात्रा का परीक्षण कर ही क्रय आदेश मात्रा भिजवाये, जिससे औषधियों की कमी एवं अधिकता की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

प्रबंध निदेशक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक मांग में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, इंगरपुर एवं संबंधित चिकित्सा संस्थानों का कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भण्डार गृहों में शत-प्रतिशत औषधियां उपलब्ध करवा कर रोगियों को राहत पहुंचाई जाए। योजना के सफल क्रियान्वन हेतु समस्त प्रभारी अधिकारी संबंधित जिलों में चिकित्सा संस्थानों का नियमित निरीक्षण करें। महंगी औषधियों की सचन मॉनिटरिंग करें तथा इससे संबंधित रिकॉर्ड का संधारण किया जाना सुनिश्चित करें।